


P107/110 108, 109 6590/2011

AMHans



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 363956

अखलाक खाँ
 कोबाधिकारी
 22 DEC 2011
 कोबागार, बागपुर



हावती शर्मा

20

7438

- | | |
|--|---|
| 1- भूमि का प्रकार - | आवासीय |
| 2- बार्ड / परगना - | आगरा |
| 3- मौहल्ला - | अमित बिहार, बाईपुर मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा |
| 4- सम्पत्ति का विवरण - | प्लॉट संख्या 108 व 109, मिन जुमला खसरा संख्या 1492 |
| 5- मापन की इकाई - | वर्गमीटर |
| 6- सम्पत्ति का क्षेत्रफल - | 167.22 वर्गमीटर |
| 7- सड़क की स्थिति -
(परिशिष्ट के अनुसार) | लागू नहीं |
| 8- अन्य विवरण -
(9 मीटर रोड / कॉर्नर आदि) | - मुख्य मार्ग - नहीं
- दो मार्ग - नहीं
- कॉर्नर - नहीं
- पार्क फेसिंग - नहीं |
| 9- सम्पत्ति का प्रकार - | खुली भूमि |
| 10- सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल -
(सम्पत्ति का प्रकार की विधि से) | लागू नहीं |

हावती शर्मा

Handwritten signature and stamp at the bottom right.

स्टाम्प विक्रय की तारीख 5596
23/12/11

स्टाम्प क्रय करने का प्रकार वैकामि


स्टाम्प क्रेता का नाम व पता मेक्स AVR होम्स प्रा. लि. काया लक्ष्मी विनय कल्याण

स्टाम्प की बिलपायि 500/-

पोस्ट वाइफांतराई
आगत

Kahul

लाइसेन्स नं० 115
लाइसेन्स की अवधि अ नवंबर 2012
सदर तहसील आगरा



मावती शर्मा

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 361342

अनुवाक द्यौ
 10 DEC 2011
 जयपुर, पारस

2

- | | |
|--|-------------------|
| 11- कुल आच्छादित क्षेत्रफल - | लागू नहीं |
| 12- स्थिति-फिनिशड/सेमीफिनिशड/अन्य- | लागू नहीं |
| 13- पेंडो का मूल्यांकन - | लागू नहीं |
| 14- बोरिंग/कुआ/ अन्य - | लागू नहीं |
| 15- निर्मित क्षेत्रफल - | लागू नहीं |
| 16- निर्माण का वर्ष - | लागू नहीं |
| 17- सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है - | नहीं |
| 18- प्रतिफल की धनराशि - 6,00,000/- | छैः लाख रूपयो में |
| 19- चौहददी - | |

दिशा	नाप	सीमा
पूरव	40 फुट	सडक 25 फुट चौडी
पश्चिम	40 फुट	प्लाट संख्या 122
उत्तर	45 फुट	प्लाट संख्या 110
दक्षिण	45 फुट	प्लाट संख्या 107

मा.ए.शर्मा

(Handwritten Signature)

17794
26-12-11

स्टाम्प विक्रय की तिथि
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प लेता का नाम व पूरा पता
स्टाम्प की धनराशि

श्री रवि खण्डेलवाल निदेशक
उपनिबन्धक (प्रथम)
आगरा सदर


अरुण कौशल
लाहौर नं. - 37
लाहौर की अवधि 31 मार्च 2012
सदर तहसील, आगरा

600,000.00/ 669,000.00
प्रतिफल मालियत
श्रीमति मालती शर्मा
पति श्री राजकुमार शर्मा

विक्रय पत्र

10,000.00 20 10,020.00 1,000
फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

पेशा गृहिणी
निवासी स्थायी 30ए ईश्वर नगर शास्त्रीपुरम सिकन्दरा आगरा
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 26/12/2011 समय 4:31PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मेवालाल पटेल
उपनिबन्धक (प्रथम)


आगरा सदर

26/12/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता

क्रेता

श्रीमति मालती शर्मा
पति श्री राजकुमार शर्मा
पेशा गृहिणी
निवासी 30ए ईश्वर नगर शास्त्रीपुरम सिकन्दरा
आगरा



श्री रवि खण्डेलवाल निदेशक
पुत्र श्री जगदीश खण्डेलवाल
पेशा व्यापार
निवासी 103 कावेरी ग्राण्ड कैलाश बिहार रोड खंदारी
आगरा



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री हेमन्त कुमार

पुत्र श्री मुकेशचन्द्र

पेशा अन्य

निवासी बुन्दूकटरा आगरा

व श्री राधेश्याम शर्मा

पुत्र श्री सुनहरीलाल शर्मा

पेशा अन्य

निवासी नई आवादी बोदला आगरा

ने की।

प्रलेखन अंगठे निबन्धनानुसार लिखा गया है।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मेवालाल पटेल
उपनिबन्धक (प्रथम)

आगरा सदर

26/12/2011



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 361360

सहचक्र डॉ.
लोहापति
10 DEC 2011
लोहापति, आगरा

3

➤ प्रथमपक्ष की संख्या – एक – विक्रेता का विवरण –

1- श्रीमती मालती शर्मा पत्नी श्री राज कुमार शर्मा निवासी 30-ए, ईश्वर नगर, शास्त्रीपुरम रोड, सिकन्दरा शहर आगरा ।

➤ द्वितीयपक्ष की संख्या – एक, क्रेता का विवरण –

1- ए0वी0 आर होम्स प्रा0लि0 पंजीकृत कार्यालय कल्याणी पोइन्ट वाईपास रोड, हरीपर्वत वार्ड, शहर आगरा द्वारा डायरेक्टर रवि खण्डेलवाल पुत्र श्री जगदीश खण्डेलवाल निवासी 103, कावेरी ग्राण्ड कैलाश बिहार रोड, खन्दारी शहर आगरा ।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम सन 1899 की धारा 2(10) व सूची 1-बी के आर्टिकल 23 ए के अनुसार स्टाम्पित

→ खुला भूखण्ड

→ बिक्रयपत्र तादादी 6,00,000/- छै: लाख रुपया मात्र।

→ एक किता प्लाट नम्बर 108 व 109 स्थित अमित बिहार, मौजा वाईपुर मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा क्षेत्रफल 200*00 वर्गगज यानि 167*22 वर्गमीटर कि जो संलग्नक मानचित्र में लाल रंग से स्पष्ट रूप से दिखाया गये क्षेत्र में स्थित है कि जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा जिनके चारों ओर 50 मीटर की त्रिज्या में खुले भूखण्ड व भवन आदि है, मय कुल अधिकार मुतालिका और जिसकी वर्तमान नाप व सीमायें उपरोक्त दी गई है ।

मालती शर्मा

मालती शर्मा

17794
22-12-11

सामग्री विक्रेता की लिपि

सामग्री प्राप्त करने का तिथि

सामग्री के नाम व पूरा पता

सामग्री के प्रकार
अरण कौशल
लाइसेंस नं. - 37
समय सीमा प्रती बताने 31 मार्च 2011
बदर तहसील, आगरा

मै ० ए ० वी ० आर ०

17794

विक्रेता


Registration No.: 6522

Year: 2,011

Book No.: 1

0101 मालती शर्मा

राजकुमार शर्मा
30ए ईश्वर नगर शास्त्रीपुरम सिकन्दरा आगरा
गृहिणी



Handwritten signature and text at the bottom right of the page.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 361361

कलकत्ता साँ

कोषाधिकारी

1 & DEC. 2011

कोषाधिकारी, काठमा

4

→ कलक्टर आगरा द्वारा स्टाम्प के लिये उप निबन्धक तृतीय आगरा सदर तहसील क्षेत्र के लिये घोषित मूल्यांकन सूची के भाग 2 क (11) के पृष्ठ संख्या 19 क्रम संख्या 4 के अनुसार 4,000/- रुपया प्रति वर्गमीटर है।

→ उक्त दर के अनुसार उक्त भूमि का स्टाम्प के लिये बाजारी मूल्य 6,69,000/- रुपया पर 5+2 कुल 7 प्रतिशत की दर से कुल 47,000/- रुपया का स्टाम्प द्वितीयपक्ष के द्वारा अदा किया गया है।

विक्रयपत्र

हम कि -

- 1- श्रीमती मालती शर्मा उक्त _____ विक्रेता प्रथमपक्ष एवं
- 1- ए0वी0 आर होम्स प्रा0लि0 उक्त _____ क्रेता द्वितीयपक्ष है।

विदित हो कि -

1- यह कि प्रथमपक्ष उक्त भूखण्ड के तन्हा मालिक स्वामी व काबिज है उक्त भूखण्ड पर प्रथमपक्ष का निजी कब्जा व दखल है।

2- यह कि प्रथमपक्ष विक्रेती ने उक्त भूखण्ड को द्वारा विक्रयपत्र लिखित श्रीमती सोनिया आदि बहक श्रीमती मालती शर्मा उक्त प्रथमपक्ष लेख दिनांक 26-11-2011 व निबन्धक दिनांक 26-11-2011 मुन्दर्जा वही संख्या 1 जिलद संख्या 7611 पृष्ठ संख्या 131 से 154 क्रमांक 5942 वदफतर उप निबन्धक तृतीय आगरा के तन्हा खरीद किया और कब्जा व दखल प्राप्त किया और मालिक व स्वामी बनी।

3- यह कि प्रथमपक्ष अपने उक्त भूखण्ड के अकेले पूर्णतः मालिक व काबिज है।
निम्नोक्त शर्तों को ध्यान में रखकर या दखलदार या दखलीलकार यादि किसी भी प्रकार का नहीं है और

मालती शर्मा

मालती शर्मा

मालती शर्मा

17796
22-12-11

स्थाप्य विभाग की तिथि
स्थाप्य प्रत्य करने का प्रयोजन वैसाख
स्थाप्य क्रेता का नाम व पूरा पता

क्र० १७७ वीं आर० 17794

स्थाप्य की धनराशि 5000

अरुण कौशल
लाइसेंस नं. 37
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2011
भदर तहसील, आगरा

क्रेता

Registration No. : 6522



Year : 2,011

Book No. : 1

0201 रवि खण्डेलवाल निदेशक

जगदीश खण्डेलवाल

103 कावेरी ग्रान्ड कैलाश बिहार रोड खंदारी आगरा
व्यापार



Handwritten signatures and text, including what appears to be '17796' and 'क्र० १७७ वीं आर०'.



-5-

X 361246

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3- यह कि उक्त भूखण्ड में अन्य कोई दावेदार आदि किसी प्रकार का नहीं है और जो आज तक हर प्रकार के ऋण, फिफ्ट, दान, जमाना, सौदे आदि से कतई पाक व साफ है। उपरोक्त भूखण्ड की जमीन नजूल एवं --- राजकीय आस्थान या धार्मिक संस्था आदि का नहीं है और न किसी भी सीलिंग वाद में अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित किया गया है और न अभ्यर्पित हुआ है और न कोई मुआबिजा प्रथमपक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है।

अवकाश का
 19 DEC 2011
 जिला कार, काशी

4- यह कि प्रथमपक्ष अपने उक्त भूखण्ड को बाजार में अधिक से अधिक मूल्य पर बिक्रय करना चाहती है और इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किये जाने पर वर्तमान में केवल द्वितीयपक्ष उक्त भूखण्ड को प्राप्त करने के लिये माकूल बाजारी कीमत पर क्रय करने के लिये तैयार है, जिसमें प्रथमपक्ष का पूरा पूरा लाभ है। अतः प्रथमपक्ष अपने उक्त सीमांकित भूखण्ड को द्वितीयपक्ष के पक्ष में बिक्रय करने के लिये तैयार है।

अतः बिक्रेता प्रथमपक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नतापूर्वक स्वस्थ चित्त मन बुद्धि के बिना बहकाये सिखाये दबाब नाजायज के खूब सोच समझकर उक्त भूखण्ड को समस्त स्वत्व व अधिकार व हित व लाभ व नामांकन के अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी अधिकार आदि के बाजारी कीमत से बिलमुक्ता व एवज 6,00,000/- छैः लाख रुपया कि आधे जिसके 3,00,000/- तीन लाख रुपया होते है वदस्त- ए0वी0 आर0 होम्स प्रा0लि0 उक्त क्रेता द्वितीयपक्ष के गुड टायटिल के साथ बैय कतई की और बेच दी।

बिक्रय संविदा इस प्रकार है :-

1- यह कि प्रथमपक्ष ने कीमत का कुल 6,00,000/- छैः लाख रुपया क्रेता द्वितीयपक्ष से द्वारा इस बिक्रयपत्र के निष्पादन के पूर्व समक्ष गवाहान के नगद रोकडी प्राप्त करके मुजरा दिये इस तरह प्रथमपक्ष को क्रेता द्वितीयपक्ष से कुछ पाना बाकी नहीं रहा और न आयंदा होगा।

मायती शर्मा

मायती शर्मा


2- यह कि प्रथमपक्ष ने उक्त भूखण्ड पर उक्त क्रेता द्वितीयपक्ष को तिकीत भवण्ड का द्वितीयपक्ष को तास्तिक कतना व दरबल देकर द्वितीयपक्ष को तिकीत भवण्ड का



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

X 337772



- 2- यह कि प्रथमपक्ष ने विक्रीत भूखण्ड पर से अपना कब्जा व दखल हटाकर द्वितीयपक्ष को वास्तविक कब्जा व दखल देकर द्वितीयपक्ष को विक्रीत भूखण्ड का पूर्णतः मालिक व काबिज बना दिया तथा गुड टायटिल दे दिया । इस प्रकार द्वितीयपक्ष उक्त भूमि के एक मात्र मालिक व काबिज हो गये ।
- 3- यह कि द्वितीयपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत भूखण्ड से वहैसियत मालिक व काबिज के चाहे जिस प्रकार लाभान्वित होवे और स्वतन्त्रतापूर्वक ऋण, बिक्रय आदि जो चाहे सो करे और आवासीय निर्माण करावे और प्रयोग में लावे और जो चाहे सो करे, प्रथमपक्ष से कोई सम्बन्ध नहीं होगा ।
- 4- यह कि द्वितीयपक्ष उक्त भूखण्ड पर अपना नामांकन सम्बन्धित विभागों में करा लें, प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी बल्कि वह अपना सहयोग प्रदान करेगे
- 5- यह कि आज के बकाया टैक्स व चार्ज आदि यदि कोई होंगे तो उन्हें प्रथमपक्ष अदा करेगी और आज के बाद के द्वितीयपक्ष अदा करेगे ।
- 6- यह कि यदि भविष्य में कभी कोई दावेदार या साझीदार आदि किसी भी प्रकार का बेची गई भूमि के सम्बन्ध में पैदा होकर कोई दावा या झगडा आदि द्वितीयपक्ष से करे और उसके कारण या प्रथमपक्ष के डिफेक्टिव टायटिल से कब्जा या दखल या स्वामित्व पूर्ण या आंशिक रूप से बेची गई भूमि का

Malti Sharma
मालती शर्मा

Shankar Lal



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7

X 337771

असलाह खाँ

उत्तराधिकारी


15 DEC 2011

लौकानगर, प्रयाग

द्वितीयपक्ष से निकल जावे तो उन कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदा करना जरे समन का मय सूद हर्जा व खर्चा के व जिम्मे जात खास व जायदाद हर किस्म प्रथमपक्ष व उसके उत्तराधिकारियों के है और भविष्य में होगा और इसमें प्रथमपक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को कभी कोई आपत्ति नहीं होगी ।

- 7- यह कि इस बिक्रय या विक्रय पत्र को सम्पूर्णता प्रदान करने के लिये यदि किसी विलेख, शपथपत्र आदि के निष्पादन व निबन्धन आदि की आवश्यकता होगी तो द्वितीयपक्ष की मांग पर प्रथमपक्ष निष्पादित एवं निबन्धित करने के लिये बाध्य है व रहेंगे ।
- 8- यह कि अब विक्रीत भूमि में प्रथमपक्ष का किसी भी रूप में कोई हक या दावा आदि नहीं रहा ।
- 9- यह कि बिक्रीत भूमि बिल्कुल खाली है और उस पर कोई निर्माण नहीं है और न बेचा गया है और न प्रथमपक्ष के द्वारा बनाकर दिया जाना है ।

माइती शर्मा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


X 361380

8

सख्तारक लॉ
जोयविजयी
10/02/2011
जोयकार, पाण्डु

10- यह कि इस बिक्रयपत्र के समस्त खर्चे द्वितीयपक्ष के जिम्मे है। यह मूल विक्रयपत्र क्रेता के पास रहेगा । प्रथमपक्ष ने अपनी विधिक आवश्यकताओं के लिये इस विक्रयपत्र की एक छायाप्रति प्राप्त कर ली है । प्रथमपक्ष ने उक्त प्लॉट बैनामा द्वितीयपक्ष के हवाले कर-दिये है।

माधवीशर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 361386

9

अखलाक खॉ
 कोषाधिकारी
 1 2 2011
 कोषागार, आगरा

कार्यालय उपनिबन्धक आगरा
 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अनुपालन में
 निष्पादक / पक्षकार के फिंगर प्रिन्ट्स

श्रीमती मालती शर्मा उक्त विक्रेता

बायें हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह	अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

दाहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह	अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

मालती शर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 708848

10

अखलाक खाँ
 कोषाधिकारी
 1-5 DEC 2011
 जौहानाबाद, जौहानाबाद

कार्यालय उपनिबन्धक आगरा
 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अनुपालन में
 निष्पादक / पक्षकार के फिंगर प्रिन्ट्स

रवि खण्डेवाल

बायें हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह	अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

दाहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह	अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

मिहती शर्मा



चूँकि इस विक्रयपत्र का मैटर स्टाम्प सीडस पर कई जगह कट गया है अतः पूरा मसौदा दुवारा लिखा जा रहा है।

- | | |
|--|---|
| 1- भूमि का प्रकार - | आवासीय |
| 2- वार्ड / परगना - | आगरा |
| 3- मौहल्ला - | अमित बिहार, बाईपुर मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा |
| 4- सम्पत्ति का विवरण - | प्लॉट संख्या 108 व 109, मिन जुमला खसरा संख्या 1492 |
| 5- मापन की इकाई - | वर्गमीटर |
| 6- सम्पत्ति का क्षेत्रफल - | 167.22 वर्गमीटर |
| 7- सड़क की स्थिति -
(परिशिष्ट के अनुसार) | लागू नहीं |
| 8- अन्य विवरण -
(9 मीटर रोड / कार्नर आदि) | - मुख्य मार्ग - नहीं
- दो मार्ग - नहीं
- कॉर्नर - नहीं
- पार्क फेसिंग - नहीं |
| 9- सम्पत्ति का प्रकार - | खुली भूमि |
| 10- सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल -
(बहुमंजिला भवन की स्थिति में) | लागू नहीं |
| 11- कुल आच्छादित क्षेत्रफल - | लागू नहीं |
| 12- स्थिति-फिनिशड / सेमीफिनिशड / अन्य- | लागू नहीं |
| 13- पेडो का मूल्यांकन - | लागू नहीं |

माएती शर्मा

Chandel

- 14- बोरिंग/कुआ/ अन्य - लागू नहीं
 15- निर्मित क्षेत्रफल - लागू नहीं
 16- निर्माण का वर्ष - लागू नहीं
 17- सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है - नहीं
 18- प्रतिफल की धनराशि - **6,00,000/-** छै: लाख रूपयो में
 19- चौहददी -

दिशा	नाप	सीमा
पूरव	40 फुट	सडक 25 फुट चौडी
पश्चिम	40 फुट	प्लाट संख्या 122
उत्तर	45 फुट	प्लाट संख्या 110
दक्षिण	45 फुट	प्लाट संख्या 107


➤ प्रथमपक्ष की संख्या - एक- विक्रेता का विवरण -

- 1- श्रीमती मालती शर्मा पत्नी श्री राज कुमार शर्मा निवासी 30-ए, ईश्वर नगर, शास्त्रीपुरम रोड, सिकन्दरा शहर आगरा ।

➤ द्वितीयपक्ष की संख्या - एक, क्रेता का विवरण -


- 1- ए0वी0 आर होम्स प्रा0लि0 पंजीकृत कार्यालय कल्याणी पोइन्ट वाईपास रोड, हरीपर्वत वार्ड, शहर आगरा द्वारा डायरेक्टर रवि खण्डेलवाल पुत्र श्री जगदीश खण्डेलवाल निवासी 103, कावेरी ग्राण्ड कैलाश बिहार रोड, खन्दारी शहर आगरा ।

मालती शर्मा



उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम सन 1899
की धारा 2(10) व सूची 1-बी के
आर्टिकल 23 ए के अनुसार स्टाम्पित

- खुला भूखण्ड
- बिक्रयपत्र तादादी 6,00,000/- छै: लाख रूपया मात्र।
- एक किता प्लाट नम्बर 108 व 109 स्थित अमित बिहार, मौजा वाईपुर मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा क्षेत्रफल 200*00 वर्गगज यानि 167*22 वर्गमीटर कि जो संलग्नक मानचित्र में लाल रंग से स्पष्ट रूप से दिखाया गये क्षेत्र में स्थित है कि जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा जिनके चारों ओर 50 मीटर की त्रिज्या में खुले भूखण्ड व भवन आदि है, मय कुल अधिकार मुतालिका और जिसकी वर्तमान नाप व सीमायें उपरोक्त दी गई है।
- कलक्टर आगरा द्वारा स्टाम्प के लिये उप निबन्धक तृतीय आगरा सदर तहसील क्षेत्र के लिये घोषित मूल्यांकन सूची के भाग 2 क (11) के पृष्ठ संख्या 19 क्रम संख्या 4 के अनुसार 4,000/- रूपया प्रति वर्गमीटर है।
- उक्त दर के अनुसार उक्त भूमि का स्टाम्प के लिये बाजारी मूल्य 6,69,000/- रूपया पर 5+2 कुल 7 प्रतिशत की दर से कुल 47,000/- रूपया का स्टाम्प द्वितीयपक्ष के द्वारा अदा किया गया है।



मायती शर्मा

विक्रयपत्र


हम कि -

- 1- श्रीमती मालती शर्मा उक्त _____ विक्रेता प्रथमपक्ष
एवं
- 1- ए0वी0 आर होम्स प्रा0लि0 उक्त _____ क्रेता द्वितीयपक्ष है ।

विदित हो कि -

- 1- यह कि प्रथमपक्ष उक्त भूखण्ड के तन्हा मालिक स्वामी व काबिज है उक्त भूखण्ड पर प्रथमपक्ष का निजी कब्जा व दखल है ।
- 2- यह कि प्रथमपक्ष विक्रेती ने उक्त भूखण्ड को द्वारा विक्रयपत्र लिखित श्रीमती सोनिया आदि बहक श्रीमती मालती शर्मा उक्त प्रथमपक्ष लेख दिनांक 26-11-2011 व निवन्धक दिनांक 26-11-2011 मुन्दर्जा वही संख्या 1 जिलद संख्या 7611 पृष्ठ संख्या 131 से 154 क्रमांक 5942 वदफतर उप निवन्धक तृतीय आगरा के तन्हा खरीद किया और कब्जा व दखल प्राप्त किया और मालिक व स्वामी बनी ।
- 3- यह कि प्रथमपक्ष अपने उक्त भूखण्ड के अकेले पूर्णतः मालिक व काबिज है । जिसमें अन्य कोई दावेदार या दखीलकार आदि किसी भी प्रकार का नहीं है और उक्त भूमि आज तक प्रत्येक प्रकार के ऋण, बिक्रय, दान, जमानत, सौदे दावे, झगडे, आदि से कतई पाक व साफ है । उक्त भूखण्ड का कोई भाग नजूल या राजकीय आस्थान या धार्मिक संस्था आदि का नहीं है और न किसी भी सीलिंग वाद में अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित किया गया है और न अम्यर्पित हुआ है और न कोई मुआबिजा प्रथमपक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है ।

मालती शर्मा



- 4- यह कि प्रथमपक्ष अपने उक्त भूखण्ड को बाजार में अधिक से अधिक मूल्य पर बिक्रय करना चाहती है और इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किये जाने पर वर्तमान में केवल द्वितीयपक्ष उक्त भूखण्ड को प्राप्त करने के लिये माकूल बाजारी कीमत पर क्रय करने के लिये तैयार है, जिसमें प्रथमपक्ष का पूरा पूरा लाभ है। अतः प्रथमपक्ष अपने उक्त सीमांकित भूखण्ड को द्वितीयपक्ष के पक्ष में बिक्रय करने के लिये तैयार है।

अतः बिक्रेता प्रथमपक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नतापूर्वक स्वस्थ चित्त मन बुद्धि के बिना बहकाये सिखाये दबाव नाजायज के खूब सोच समझकर उक्त भूखण्ड को समस्त स्वत्व व अधिकार व हित व लाभ व नामांकन के अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी अधिकार आदि के बाजारी कीमत से बिलमुक्ता वएवज 6,00,000/- छैः लाख रुपया कि आधे जिसके 3,00,000/-तीन लाख रुपया होते है वदस्त- ए0वी0 आर0 होम्स प्रा0लि0 उक्त क्रेता द्वितीयपक्ष के गुड टायटिल के साथ बैय कतई की और बेच दी।

बिक्रय संविदा इस प्रकार है :-

- 1- यह कि प्रथमपक्ष ने कीमत का कुल 6,00,000/- छैः लाख रुपया क्रेता द्वितीयपक्ष से द्वारा इस बिक्रयपत्र के निष्पादन के पूर्व समक्ष गवाहान के नगद रोकडी प्राप्त करके मुजरा दिये। इस तरह प्रथमपक्ष को क्रेता द्वितीयपक्ष से कुछ पाना बाकी नही रहा और न आयंदा होगा।
- 2- यह कि प्रथमपक्ष ने विक्रीत भूखण्ड पर से अपना कब्जा व दखल हटाकर द्वितीयपक्ष को वास्तविक कब्जा व दखल देकर द्वितीयपक्ष को विक्रीत भूखण्ड का पूर्णतः मालिक व काबिज बना दिया तथा गुड टायटिल दे दिया। इस प्रकार द्वितीयपक्ष उक्त भूमि के एक मात्र मालिक व काबिज हो गये।

मावती शर्मा




[Signature]




- 3- यह कि द्वितीयपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत भूखण्ड से वहसियत मालिक व काबिज के चाहे जिस प्रकार लाभान्वित होवे और स्वतन्त्रतापूर्वक ऋण, बिक्रय आदि जो चाहे सो करे और आवासीय निर्माण करावें और प्रयोग में लावे और जो चाहे सो करें, प्रथमपक्ष से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
- 4- यह कि द्वितीयपक्ष उक्त भूखण्ड पर अपना नामांकन सम्बन्धित विभागों में करा लें, प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी बल्कि वह अपना सहयोग प्रदान करेगे
- 5- यह कि आज के बकाया टैक्स व चार्ज आदि यदि कोई होंगे तो उन्हें प्रथमपक्ष अदा करेंगी और आज के बाद के द्वितीयपक्ष अदा करेंगे।
- 6- यह कि यदि भविष्य में कभी कोई दावेदार या साझीदार आदि किसी भी प्रकार का बेची गई भूमि के सम्बन्ध में पैदा होकर कोई दावा या झगडा आदि द्वितीयपक्ष से करे और उसके कारण या प्रथमपक्ष के डिफेक्टिव टायटिल से कब्जा या दखल या स्वामित्व पूर्ण या आंशिक रूप से बेची गई भूमि का द्वितीयपक्ष से निकल जावे तो उन कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदा करना जरे समन का मय सूद हर्जा व खर्चा के व जिम्मे जात खास व जायदाद हर किस्म प्रथमपक्ष व उसके उत्तराधिकारियों के है और भविष्य में होगा और इसमें प्रथमपक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को कभी कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 7- यह कि इस बिक्रय या विक्रय पत्र को सम्पूर्णता प्रदान करने के लिये यदि किसी विलेख, शपथपत्र आदि के निष्पादन व निबन्धन आदि की आवश्यकता होगी तो द्वितीयपक्ष की मांग पर प्रथमपक्ष निष्पादित एवं निबन्धित करने के लिये बाध्य है व रहेंगे।

हावती शर्मा





- 8- यह कि अब विक्रीत भूमि में प्रथमपक्ष का किसी भी रूप में कोई हक या दावा आदि नहीं रहा ।
- 9- यह कि विक्रीत भूमि बिल्कुल खाली है और उस पर कोई निर्माण नहीं है और न बेचा गया है और न प्रथमपक्ष के द्वारा बनाकर दिया जाना है ।
- 10- यह कि इस विक्रयपत्र के समस्त खर्चे द्वितीयपक्ष के जिम्मे है। यह मूल विक्रयपत्र क्रेता के पास रहेगा । प्रथमपक्ष ने अपनी विधिक आवश्यकताओं के लिये इस विक्रयपत्र की एक छायाप्रति प्राप्त कर ली है । प्रथमपक्ष ने उक्त प्लॉट बैनामा द्वितीयपक्ष के हवाले कर दिये है।



मावती शर्मा





V 708849

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N-18-

अखलाक खाँ
 जोबाधिकारी
 15 DEC 2011
 जोषागार, आगरा


अतः यह विक्रयपत्र हम दोनों पक्षों ने आज दिनांक 26 माह दिसम्बर वर्ष 2011 ईश्वी को इसके प्रारूप से सन्तुष्ट होकर नीचे लिखे अपने परिचित साक्षियों के समक्ष अपने अपने हस्ताक्षरों के द्वारा निष्पादित किया तथा साक्षियों ने भी पक्षों के कहने पर उसी समय तथा उन्हीं के समक्ष अपनी गवाही दी। इस विक्रयपत्र का प्रारूप पक्षों के दिये गये निर्देश के अनुसार उनकी सन्तुष्टि पर पं० हनुमान प्रसाद कौशल, दस्तावेज लेखक, सदर तहसील आगरा ने तैयार किया व टायपवाई अनिल सदर तहसील आगरा।

दस्तावेज लेखक का नाम-हनुमान प्रसाद कौशल
 अनुज्ञापित सं० 6
 जिला क्षेत्र स्थान-आगरा
 सी आई फीस 1500/- स्वयं
 दस्तावेज लेखक का हस्ताक्षर
 PAN-ABAPK-1876-F

हस्ताक्षर/वि० सं० निष्पादन
 हावती शर्मा

पति श्री हनुमान कुमार
 पुत्र श्री सुमेश चन्द
 निवासी मुन्दी कहरा आगरा
 हस्ताक्षर/वि० सं०

पति श्री राधेश्याम शर्मा
 पुत्र श्री सुन्दरलाल शर्मा
 निवासी जई आबादी आपना आगरा
 हस्ताक्षर/वि० सं०



17875

26-12-11

स्वास्थ्य विभाग की लिखित

सहाय्य प्राप्त करने का प्रयोजन

पदाध्यक्ष के नाम व पूरा पता

स्वास्थ्य का धनराशि

1000

नै० अठको आ०

17872

अरुण कौशल

लाइसेंस नं.- 37

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2011

सदर तहसील, आगरा

आज दिनांक 26/12/2011 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 7652

पृष्ठ सं. 89 से 126 पर क्रमांक 6522

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मेवालाल पटेल

उपनिबन्धक (प्रथम)

आगरा सदर

26/12/2011



SITE PLAN OF LAND PLOT NO. 108, 109 AT
MAUZA BAEEMPUR AMITI VIHAR AGRA.


OWNER: SMT. MALTI SHARMA

SOLD TO: SRI RAVI KHANDELWAL & A.V.R HOMES
PVT. LTD.

SHOWN IN RED COLOUR
AREA: 167.22 SQMTRS



SHOP No. 122



7.52 MT. WD. RASTA


हस्ताक्षर/सि. अ. निष्ठा

मा. मालती शर्मा


[Handwritten signature]
[Fingerprint]

SITE PLAN OF LAND PLOT NO. 108, 109 & 110
MAUSA BEEPUR BANGALORE
OWNER: SMT. MATHI SHARMA
SOLD TO: SRI. RAVI KARNADWAR & BVR HOMER
PVT. LTD.

SHOWN IN RED COLOUR
AREA: 12.22 SQ. METRE



2014.11.15



Handwritten signature
M. S. S. S.

652211

पुणे नवका संवत्सरे
इ. सं. सं. सं. सं. सं.

इ. सं. सं. सं. सं. सं.
सं. सं. सं. सं. सं.

कि. इ. हि. ॥

Faint handwritten text at the bottom of the page.